भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2507
उत्तर देने की तारीख 04 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना

2507. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, प्रोत्साहन एवं समर्थन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढाँचे और अन्य प्रकार की सुविधाओं का विशेषकर महाराष्ट्र राज्य और जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जलगाँव में आधुनिक सुविधाओं वाले खेल स्टेडियम या खेल परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार क्षेत्रीय माँग के आधार पर आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार खानदेश जैसे वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो कार्यान्वयन की क्या रूपरेखा है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, प्रोत्साहन और सहायता के लिए कदम उठाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ खेल स्टेडियम या खेल परिसरों की स्थापना और वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए अवसंरचनाओं का विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित

करता है जो देश के ग्रामीण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, अवसंरचना और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता भी पूरी करती है।

(i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;
(iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार ;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के घटक "खेल अवसंरचना का निर्माण एवं उन्नयन" के अंतर्गत, यह मंत्रालय मूलभूत खेल अवसंरचना जैसे खेल स्टेडियम, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ खेल स्टेडियम या खेल परिसरों की स्थापना भी शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमशः https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ मांग-आधारित स्कीमें हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र निकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है है।

*****